न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO), बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री वीरमा राम, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 37 / 2016

प्रार्थीगण

1 अगराराम पुत्र पूनमाराम जाति सुथार निवासी मुरटाला गाला फोत जरिये विधिक वारिशान 1/1लीलाराम 1/2 शेतनराम 1/3 भीखाराम 1/4 बंशीलाल 1/5 हंजारीलाल पिसरान अगराराम 1/6 छगनी देवी पत्नी अगराराम 2 चनणाराम 3 गोरधनराम पिसरान पूनमाराम जातियान सुथार निवासी मुरटाला गाला महाबार तहसील व जिला बाड़मेर 4 गेमराराम पुत्र नरसिंगाराम जाति सुथार निवासी सरदारपुरा 5 मेवाराम 6 दलाराम पिसरान नरसिंगाराम 7 उतमाराम पुत्र सगताराम पुत्र नरसिंगाराम 8 श्रवण कुमार पुत्र सगताराम 9 गोपीदेवी पत्नी सगताराम जातियान सुथार निवासीयान मुरटाला गाला महाबार तहसील व जिला बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण

1 जगुराम पुत्र पूनमाराम के विधिक वारिशान 1/1 मांगाराम 1/2 मगाराम 1/3 खेताराम पिसरान जगुराम 1/4 जीयोदेवी पत्नी जगुराम जातियान सुथार निवासीयान मुरटाला गाला महाबार तहसील व जिला बाड़मेर 2 गेमराराम पुत्र हेमाराम जाति सुथार निवासी खेतेश्वर कॉलोनी, महाबार रोड़ बाड़मेर 3 करनाराम पुत्र हेमाराम जाति सुथान निवासी वन विभाग, बाड़मेर 4 सुशिला पत्नी चन्द्रसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी गांधी नगर बाड़मेर 5 तनसिंह पुत्र दीपसिंह जाति राजपूत निवासी मुरटाला गाला, महाबार तहसील बाड़मेर 6 संतोषी पत्नी खेताराम जाति सुथार निवासी आदर्श उण्डखा तहसील व जिला बाड़मेर 7 आजादसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह राठौड़ जाति राजपूत निवासी सरदारपुरा, बाड़मेर प्रोपराईटर हितकारी एण्ड स्वराज इन्टरप्राईजेज, बाड़मेर 8 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131 व 136 RLR Act.

उपस्थिति :–

1. श्री सुनिल के. मेराजा, वकील प्रार्थीगण।
2. श्री राजेन्द्र शर्मा, वकील अप्रार्थी 1/1, 1/2, 2, 3
3. श्री भीमाराम कुमावत, वकील अप्रार्थी सं0 06
4. श्री कपिल चौधरी, वकील अप्रार्थी सं0 07

आदेश

दिनांक 08/07/25

संक्षिप्त में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 01 से 03 एक ही परिवार के सदस्य है जिनका पारिवाकरिक वंश वृक्ष निम्न प्रकार है :–

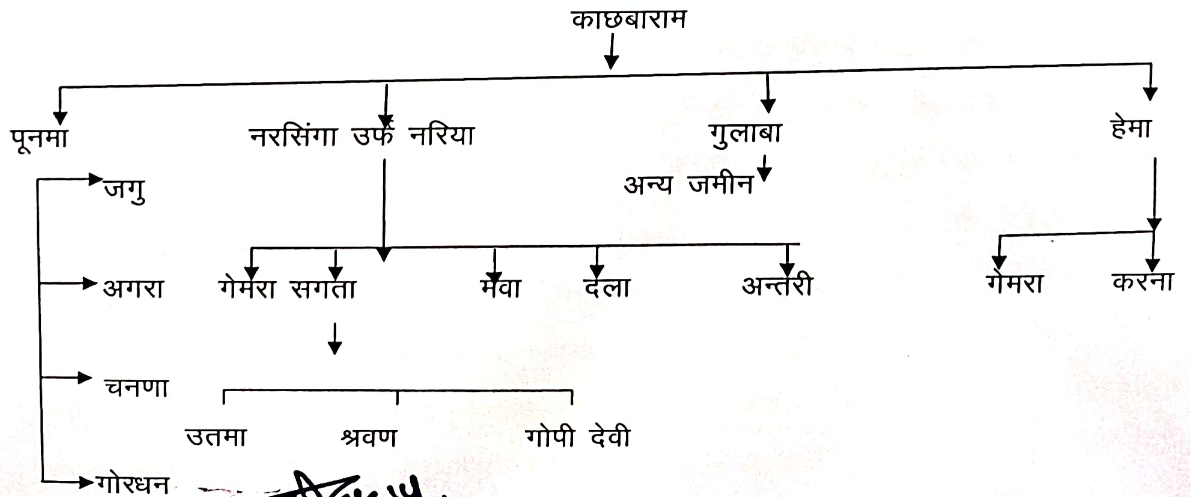

उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर

प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 की संयुक्त एवं पैतृक खातेदारी की भूमि मौजा महाबार वर्तमान राजस्व गांव मुरटाला गाला, पटवार हल्का महाबार तहसील व जिला बाड़मेर में वक्त सेटलमेन्ट खसरा नम्बर 833 रकबा 181 बीघा 14 बिस्वा व खसरा नम्बर 838 रकबा 53 बीघा 07 बिस्वा कुल रकबा 235 बीघा 1 बिस्वा का आया हुआ था, जिसमे सड़क कटाण होने से उक्त खसरान के नये खसरा नम्बर 833/1 रकबा 181 बीघा 10 बिस्वा व खसरा नम्बर 838/1 रकबा 49 बीघा 03 बिस्वा भूमि दर्ज हुई। उक्त भूमि वक्त सेटलमेन्ट काछबा के पुत्र पुनमा, नरींगा, गुलाबा व हेमा के नाम दर्ज हुई थी। गुलाबाराम द्वारा अपने हिस्से का बंटवाड़ा करवाने हेतु एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 आर.टी एक्ट का सहायक कलेक्टर, बाड़मेर के न्यायालय में दिनांक 07.11.70 को पेश किया था। जिसका अनवान गुलाबा बनाम पूनमा वगैरा राजस्व वाद संख्या 140/70 में विवादित आराजी को लेकर पक्षकारान् के मध्य राजीनामा होने से खातेदार गुलाबाराम ने उक्त आराजी में अपना 1/4 हिस्सा छोड़ दिया, क्योंकि गुलाबाराम को अन्य आराजी में हिस्सा मिल गया था। साथ ही खातेदार पूनमा पुत्र काछबा को 89.00 बीघा व खातेदार नरसिंगा पुत्र काछबा को 73 बीघा एवं खातेदार गेमरा व करनाराम पिसरान् हेमाराम को 73.01 बीघा भूमि का खातेदार घोषित करते हुए बंटवाड़े के दावे का निर्णय दिनांक 15.09. 1971 को पारित कर डिक्री पर्चा जारी किया है। सहायक कलेक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद सं. 140/70 में बंटवाड़े हेतु प्राथमिक डिक्री जारी नहीं की गई बंटवाड़े अनुसार अन्तिम डिक्री पारित की गई। किन्तु मौके पर जोत के भौतिक बंटवाड़े का कोई आदेश न्यायालय द्वारा पारित नहीं किया गया। तत्समय पक्षकारान् द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के पद संख्या 2 के अनुसार " चारो मुदायलेहिम अपने–अपने बन्ट की जमीन का नेखमबंदी कराकर रेकर्ड ऑफ राइट्स में जुदा जुदा अपने–अपने नाम खातेदारी में चढ़ा लेंगे और कोई पक्ष किसी अन्य पक्ष के हिस्से की भूमि में दखल या रोक–टोक नहीं करेगा" इस प्रकार उक्त राजीनामा में पक्षकारान् ने अपने–अपने कब्जे काश्त अनुसार नेखमबंदी करवाकर अपने हिस्सों का बंटवाड़ा करवाने की सहमति दी गई थी, परन्तु बाद में किसी भी पक्ष द्वारा बंटवाड़ा नहीं करवाते हुए पुराने कब्जे के अनुसार भूमि पर काबिज रहे। प्रार्थीगण की रहवासीय ढाणिया खसरा नम्बर 833 में वक्त सेटलमेन्ट से बनी हुई है। सहायक कलेक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 140/70 में पारित निर्णय की व डिक्री पर्चा दिनांक 15.09.71 की पालना में लम्बे समय पश्चात् राजस्व अधिकारियों ने विवादित आराजी में नामान्तरकरण संख्या 668 दिनांक 25.12.76 भरकर पुनमाराम के हिस्से की 89.00 बीघा भूमि खसरा नं. 833/1 वर्तमान खसरा नं. 1988/833 रकबा 89.01 बीघा, नरसिंगाराम के हिस्से में खसरा नं. 833/2 वर्तमान खसरा नं. 1987/833 रकबा 68.07 बीघा एवं गेमराराम व करनाराम के नाम खसरा नं. 833/3 वर्तमान खसरा नं. 1990/833 रकबा 24.02 बीघा व खसरा नं. 838/1 वर्तमान खसरा नं. 1997/838 रकबा 49.03 बीघा कुल 73.05 बीघा भूमि खातेदारी में अलग–अलग दर्ज कर दी। तत्समय पटवारी द्वारा राजस्व नक्शे में कोई तरमीन नहीं की गई थी एवं इस बाबत् नोट उक्त नामान्तकरण सं. 668 में भू–अभिलेख निरीक्षक बाड़मेर द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
बाडमेर

नामान्तरकरण की जांच में अंकित किया कि "तरमीम कर नक्शा नामान्तरकरण की पुश्त पर बनाकर पेश करें" किन्तु उक्त निर्देश के बाद भी विवादित आराजी की न तो तरमीम की गई एवं न ही तरमीम नक्शा नामान्तरकरण की पुश्त पर बनाया गया। जिससे सम्पूर्ण आराजी का माफिक फैसला जमाबंदी में तो अंकन हो गया था किन्तु कब्जे काश्त अनुसार राजस्व नक्शे में तरमीम नहीं हो पाई थी। नामान्तकरण सं. 668 की कार्यवाही पश्चात् अग्रिम वर्षो में आए हल्का पटवारी ने विवादित आराजी के राजस्व जमाबंदी में जब खसरा नं. 833/1, 833/2 व 833/3 एवं 838/1 के नए वर्तमान खसरा नं. 1988/833, 1987/833, 1990/833 एवं 1997/838 कायम किये तब बिना किसी आदेश एवं बिना किसी पैमाईश के मात्र राजस्व नक्शे में अपने मनमर्जी से तरमीम अंकित कर दी, जो आज भी रिकार्ड में दर्ज है। उक्त तरमीम पक्षकारान् के मौके पर स्थित कब्जे काश्त एवं रहवास के विपरित है उक्त तरमीम के संबंध में पक्षकारान् को कभी कोई जानकारी नहीं दी गई। उक्त तरमीन से खसरा नं. 833 में पूनमाराम व नरसिंगाराम के परिजनों सहित स्वयं गेमरा व करना पिसरान् हमाराम के पुराने रहवासीय परिसर भी एक दूसरे के खेतों में चले गए है क्योंकि जहां पर अगरा गोरधन व चन्दना पिसरान् पूनमाराम की ढाणियां है वो परिसर गेमरा, मेवा, दला पिसरान् नरसिंगा को दिया गया है। जहां पर गेमरा व करना पिसरान् हेमा की रहवासीय ढ़ाणीयां बनी है वो परिसर अगरा गोरधन, चन्दन पिसरान् पूनमा के नाम तरमीन कर रखा है, इस प्रकार उक्त खसरे में की गई पूरी तरमीन मौके पर पक्षकारान् के चले आ रहे पुराने कब्जे व रहवास के पूर्णतः विपरित है। खसरा नं. 833/1 व 838/1 जिसके वर्तमान खसरा नं. 1988/833, 1987/833, 1990/833 व 1997/838 है के संबंध में पक्षकारान् के वर्तमान कब्जे काश्त की स्थिति बाबत् अंकन परिशिष्ट "ब" में किया गया है एवं सभी पक्षकारान् उक्त खसरों पर परिशिष्ट "ब" में लांग से दर्शाई गई तरमीम अनुसार काबिज है। इसलिए न्यायहित में उक्त खसरान् में की गई गलत तरमीम जो परिशिष्ट "अ" में अंकित है को निरस्त कर संलग्न पेश परिशिष्ट "ब" में मौके पर कब्जे काश्त अनुसार प्रस्तावित लाल रंग से की गई तरमीम के अनुरूप तरमीम करने का आदेश दिया जाना न्यायहित में आवश्यक है। लिहाजा मौजा मुरटाला गाला पटवार क्षेत्र महाबार तहसील बाड़मेर के खसरा नं. 833/1 व 838/1 वर्तमान खसरा नं. 1988/833, 1987/833, 1990/833 व 1997/833, 2481/833 व 2482/838 में गलत रूप से गई तरमीम जो परिशिष्ट "अ" में वर्णित है को निरस्त कर संलग्न पेश परिशिष्ट "ब" में लाल रंग से वर्णित वास्तविक तरमीम अनुसार राजस्व रिकोर्ड में तरमीम दुरस्त करने का आदेश फरमावे।

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण 1/1, 1/2, 2, 3, 6 व 7 के वकील उपस्थित। शेष अनुपस्थित। प्रकरण में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं0 02 गेमराराम द्वारा राजीनामा पेश कर राजीनामा के अनुसार प्रकरण को निस्तारण करने का निवेदन किया, राजीनामा पर उभयपक्ष के हस्ताक्षर नहीं होने एवं अपूर्ण होने से

उप खण्ड अधिकारी
बाडमेर

स्वीकार नहीं करते हुए प्रकरण में तहसीलदार बाडमेर से मौका व रेकर्ड की रिपोर्ट तलव की गई।

प्रकरण में तहसीलदार बाडमेर द्वारा मौका रिपोर्ट अपने पत्रांक भू.अ./1377 दिनांक 10.03.2016 को रिपोर्ट इस आशय की उपलब्ध करवाई कि मौजा मुरटाला गाला के खसरा नम्बर 1988/833, 1987/833, 1990/833, 1997/838, 2481/838, 2482/838 की भूमि की मौके पर जांच की गई हैं, उक्त मौका जांच रिपोर्ट अनुसार ख सं 1990/833 रकबा 24.03 बीघा, ख सं 1997/833 रकबा 26.00 बीघा खसरा संख्या 2482/838 रकबा 12.03 बीघा गेमरा वल्द हेमा करना वल्द हेमा कौम सुथार सा0 देह,ख सं 2481/838 रकबा 9–17 बीघा हितकारी एण्ड स्वराज इन्टराप्राईजेज बाडमेर के मालिक आजाद सिंह राठौड पुत्र पृथ्वीसिंह जाति राजपूत निवासी सरदारपुरा बाडमेर ख सं 2483/838 रकबा 1–03 राज्य सरकार को समर्पित, ख सं 1987/833 रकबा 68.07 बीघा गेमराराम मेवाराम दलाराम पिसरान नरसींगा उतमाराम श्रवण कुमार पिसरान सगताराम गोपीदेवी पत्नी सगताराम अन्तरीदेवी पत्नी नरसिंगा कौम सुथार सा.देह, ख सं 1988/833 रकबा 89–01 बीघा तनसिंह पुत्र दीपसिंह जाति राजपूत (17–05बीघा) नि. महाबार पीथल, मांगीलाल पुत्र जगुराम जाति सुथार (5.00 बीघा), नि. डोला डूंगरी बाडमेर1/4, अगरा चन्दणा गोरधन पि. पूनमा 3/4 कौम सुथार सा. देह के नाम से वर्तमान राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त खसरों की राजस्व नक्शा में तरमीम की हुई है जो कि इनके कब्जा काश्त मुताबिक नहीं है। राजस्व नक्शा व मौका स्थिति में भिन्नता है, मूल खसरा सं 833 व 838 के मध्य ख सं 836 कटाण मार्ग है जिस पर एनएच 15 की सडक निकलने पर ख सं 833 में से खसरा संख्या 1989/833 रकबा 0.04 बीघा तथा खसरा संख्या 838 में से खसरा संख्या 1998/838 रकबा 4.04 बीघा भारत सरकार भूतल परिवहन मंत्रालय राष्ट्रीय उच्च मार्ग सं 15 के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया जबकि वर्तमान में निकलने वाली सडक पूर्णतः ख सं 838 में से होकर निकल रही है। एनएच 15 के नाम से 4.08 बीघा दर्ज की गयी है जबकि एनएच 15 हेतु 17.00 बीघा भूमि ख सं 838 बीघा की 150 फुट चौडाई की उपयोग में ली जा रही है। जिससे ख सं 838 की धारित भूमि मौके पर कब्जा भूमि से अधिक है, मूल खसरा संख्या 833 राजस्व ग्राम महाबार की सीमा पर स्थित खसरा है जिसके पश्चिम में राजस्व ग्राम उण्डखा की सीमा निकलती है। दोनों ग्रामों के उक्त खसरे के पडौसी खसरों की राजस्व रेकर्ड की स्थिति एवं मौका स्थिति का मिलान करने पर ज्ञात हुआ है कि दोनों गांवों की सीमाओं में ओवरलेपिंग (अतिक्रमण) है जिसकी संलग्न मौका नक्शा में स्थिति को डोटेड लाल स्याही से दर्शाया गया है। इस ओवरलेपिंग भूमि का क्षेत्रफल 60.00 बीघा है। राजस्व ग्राम उण्डखा में ख. सं. 600/273 रकबा 57.00 बीघा भूमि जगू अगरा चन्दणा गोरधन पि. पूनमा गेमरा मेवा दला पि. नरसिंगा उतमा श्रवणकुमार पि. सगता गोपीदेवी पत्नी सगता अन्तरी पत्नी नरसिंगा कौम सुथार सा.देह के नाम दर्ज है। ग्राम उण्डखा के ख सं 600/273 के पडौसी खसरों की राजस्व नक्शा की स्थिति एवं पडौसी खसरों की कब्जा काश्त अनुसार स्थिति में लगभग समानता है। राजस्व ग्राम महाबार की सीमा का उक्त खसरे

उप खण्ड अधिकारी
बाडमेर

पर ओवरलेपिंग है, ख सं 1988/833 में खातेदार जगु वल्द पूनमा द्वारा बेचान की गयी 17.05 बीघा भूमि पर केता तनसिंह पुत्र दीपसिंह जाति राजपूत द्वारा कब्जा कर चार दीवारी का कार्य किया जा रहा है। जिसे संलग्न नक्षा में पृथक से बरंग भूरा दर्शाया गया है। चारदीवारी का कार्य निर्माणाधीन है, .ख सं 1990/833 के खातेदार गेमरा करना पि हेमा की रहवारी ढाणियां ख सं 1988/833 में ख सं 1987/833 के खातेदार मेवा दला पि नरसिंगा उतमा पुत्र सगता वगैरा की रहवासी ढाणियां खसरा सं 1988/833 में ख सं 1988/833 के खातेदार जगू चन्दणा गोरधन पि पूनमा मांगा पुत्र जगु की रहवारी ढाणियां ख सं 1987/833 में बनी हुई है। उक्त समस्त ढाणियों पक्की मकान की बनी हुई है।उक्त खातेदारों की रहवारी ढाणियां अपने अपने कब्जा काष्त में बनी हुई है। जबकि वर्तमान खसरों की तरमीम मुताविक नहीं है।खातेदारों की रहवासी ढाणियों एवं कब्जा काश्त स्थिति को राजस्व नक्शा मौका में दर्शाया गया है, ख सं 2481/838 रकबा 9–17 बीघा भूमि पर चार दीवारी कर वेयर हाउस के रूप में उपयोग में लिया जा रहा है। जिसके भवन आदि बने हुए हैं, प्रतिवादी गेमरा करना पि. हेमा द्वारा बताया गया है कि तनसिंह पुत्र दीपसिंह द्वरा कब्जा कर चारदीवारी की जा रही भूमि उनके कब्जा काश्त की भूमि है । चारदीवारी के अन्दर की भूमि कय की गयी भूमि से ज्यादा है।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1/1, 2, 3 व 4 के द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया उक्त प्रार्थना पत्र पर पुनः मौका व रेकर्ड की रिपोर्ट तलब की गई, तहसीलदार बाड़मेर ने अपने पत्रांक भू.अ./2025/1025 दिनांक 22.04.2025 के द्वारा मौका व रेकर्ड की रिपोर्ट उपलब्ध करवाई गई। तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार मौजा मुरटालागाला का खसरा संख्या 1987/833 रकबा 11.6226 हैक्टेयर भूमि कैलाश कुमार जैन वगैरा खरीददार व चन्दणा पुत्र पूनमा वगैरा पूनमोणी परिवार के नाम तथा खसरा संख्या 2347/833 रकबा 11.0641 हैक्टेयर भूमि अन्तरीदेवी पत्नी नरसींगा वगैरा नरसींगोणी परिवार के नाम, खसरा संख्या 1988/833 रकबा 11.6226 हैक्टेयर भूमि कैलाश कुमार जैन वगैरा खरीददार व चन्दणा पुत्र पूनमा वगैराह पूनमोणी परिवार के नाम तथा खसरा नम्बर 2347/833 रकबा 2.7923 हैक्टेयर भूमि प्रोटीनेक्स एडवांस फिड इंडस्ट्रीज भागीदार श्रवणकुमार, डूंगरमल जाति माहेश्वरी के नाम दर्ज हैं। पक्षकारान का खेत दो मूल ग्राम महाबार तथा उण्डखा में आए हुए हैं दोनो ग्रामों की सीमा पर स्थित होने से ओवरलेप हैं। राजस्व रेकर्ड में जितना रकबा दर्ज हैं मौके पर वास्तविक रूप से उतना क्षेत्रफल उपलब्ध नहीं हैं, आपसी बंटवाड़े के समय ओवरलेप को ध्यान में नहीं रखा गया हैं जिससे रेकर्ड में अंकित तरमीम व मौके पर स्थित कब्जा काश्त में भिन्नता हैं। राजस्व रेकर्ड में खसरा संख्या 1987/833, 1988/833, 2347/833, 1990/833 व मूल खसरा संख्या 838 के बटटा नम्बरो की वर्तमान तरमीम संलग्न नक्शा परिशिष्ट "अ" के अनुसार है जबकि वर्तमान मौका स्थिति संलग्न नक्शा परिशिष्ट "ब" के अनुसार हैं। खसरा संख्या 2347/833 के चारो ओर पक्की चारदीवारी बनी हुई है तथा खसरा संख्या 1987/833,

उप खण्ड अधिकारी

1988/833 के खातेदारान की रहवासी ढाणियां, टांके, कब्जा काश्त की माठो के अनुसार परिशिष्ट "ब" को बनाया गया हैं जो निम्नानुसार हैं :–

	वर्तमान स्थिति				प्रस्तावित दुरस्ती के बाद की स्थिति			
क. स.	खाता संख्या	खसरा संख्या	रकबा	किस्म	खातेदारो का विवरण	खसरा संख्या	रकबा	बरंग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	35 148	1987/833 1988/833 02	11.0641 11.6226 22.6867	बा.दो. बा.दो.	कैलाश कुमार पुत्र चम्पालाल जैन हि. 1151/28683, राजेश मालू पुत्र चम्पालाल जैन हि. 1151/28683, गौतमचन्द जैन पुत्र चम्पालाल जाति जैन हि. 1150/28683 जाति जैन नि. हमीरपुरा बाड़मेर सम्पतराज जैन पुत्र खीमराज हिस्सा 1196/9561 जाति जैन नि. कल्याणपुरा बाड़मेर, मांगीलाल पुत्र जगुराम हि. 2698/28683 जाति सुथार सा डोला, लीलाराम पुत्र अगराराम हि. 3158/86049, हजारीलाल पुत्र अगराराम हि. 3158/86049, चेतनराम पुत्र अगराराम 3158/86049, बंशीलाल पुत्र अगराराम हि. 3158/86049, भीखाराम पुत्र अगराराम हि.3158/86049, छगनीदेवी पत्नी अगराराम हि.3154/86049, गोरधन पुत्र पूनमा हि. 18944/86049, चन्दणा पुत्र पूनमा हि. 18944/86049 जाति सुथार सा. देह खातेदार	833 833 2	6.6084 1.9965 8.6049	हरा
2					अन्तरीदेवी पत्नी नरसींगा हि. 1/5, गेमराराम 1/5, दलाराम 1/5, मेवाराम 1/5, पि. नरसींगा, उतमाराम 1/15, श्रवण कुमार 1/15, पि. सगताराम, गोमीदेवी पत्नी सगताराम हि. 1/15 जाति सुथार सा देह खातेदार	833	6.5137	गुलाबी
3.					अंतरी पत्नी नरसिंगा हि. 1/10, गेमराराम हि. 1/10, दलाराम हि. 1/10 मेवाराम हि. 1/10, पि. नरसींगा, उतमाराम पुत्र सगताराम हि. 1/30 श्रवण कुमार पुत्र सगताराम हि. 1/30, गोमीदेवी पत्नी सगताराम हि. 1/30चन्दणा पुत्र पूनमा हि. 1/6, गोरधन पुत्र पूनमा हि. 1/6 लीलाराम हि. 1/36, हंजारीलाल हि. 1/36, चेतनाराम हि. 1/36, बंशीलाल हि. 1/36 भीखाराम हि. 1/36 पि. अगराराम, छगनीदेवी पत्नी अगराराम हि. 1/36 जाति सुथार सा. देह खातेदार	833 833 02	1.2527 6.3154 7.5681	पीला
			महायोग			05	22.6867	
4.	111	2347/833	2.7923	बा.दो.	बदस्तूर वर्तमान जमाबंदी	2347/833	2.7923	बैंगनी

खसरा संख्या 2347/833 का रकबा यथावत रखते हुए मौके पर बनी पक्की चारदीवारी के आधार पर तरमीम दुरस्त किया जाना प्रस्तावित किया गया हैं। संलग्न नक्शा में दर्शित रकबा 1.2527 हैक्टेयर बरंग पीला शामलाती उपभोग की भूमि तथा रकबा 6.3154 हैक्टेयर है बरंग पीला को ओवरलेप की भूमि होने से पूनमोणी व नरसिंगोणी परिवार की संयुक्त खातेदारी की रखी गई हैं उक्त दोनों पक्षों की एक अन्य खातेदारी भूमि आदर्श उण्डखा पटवार हल्का उण्डखा के खसरा संख्या 600/273 रकबा 9.2268 हैक्टेयर संयुक्त खातेदारी की हैं जो उपरोक्त प्रस्तावित खेत के सेढासेढ लगती हुई है। दोनो परिवारों ने सहमति से यह तय किया कि जिन आसामियों को पटवार हल्का महाबार में कम भूमि हिस्से में आती हैं उसकी भरपाई पटवार हल्का उण्डखा वाली भूमि में से की जायेगी तथा जिन

उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर

आसामियों को पटवार हल्का महाबार में ज्यादा भूमि हिस्से में मिली है उनको पटवार हल्का उण्डखा में कम जमीन मिलेगी।

अतः तरमीम दुरस्ती हेतू विचारारार्थ खसरा संख्या 1987/833 व 1988/833 के कुल क्षेत्रफल का मिलान दुरस्ती हेतु प्रस्तावित खसरों के कुल रकबे में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा हैं। मूल खसरा संख्या 838 के सभी बट्टा संख्या खसरा संख्या 833 के शेष खसरों यथा 1190/833 की तरमीम वर्तमान राजस्व रेकर्ड के अनुसार यथावत रहेगी।

उक्त मौका रिपोर्ट पर वकील प्रार्थीगण को सुना गया। वकील प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार बाडमेर की मौका रिपोर्ट के अनुसार मौजा मुरटाला गाला पटवार हल्का महाबार तहसील बाड़मेर के खसरा संख्या 833/1 व 838/1 वर्तमान खसरा संख्या 1988/833, 1987/833, 1990/833 व 1997/833, 2481/833 व 2482/838 की तरमीम जमाबन्दी में अंकित रकबा व मौके पर काश्त व कब्जा अनुसार प्रारूप ''ब'' के अनुसार तरमीम दुरूस्त करने पर अपनी सहमति प्रकट की है तथा विप्रार्थी संख्या 04 के द्वारा उक्त मौका रिपोर्ट पर असहमति प्रकट की है कि प्रारूप ''ब'' अनुसार प्रस्तावित तरमीम को शुद्ध किया जाना न्यायोचित नहीं हैं। विप्रार्थी वकील द्वारा बहस करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा सड़क पर आने हेतु तरमीम दुरस्ती हेतु यह आवेदन पेश किया गया है, जबकि विप्रार्थीगण की भूमि वर्तमान में सड़क पर होने से प्रार्थीगण का आवेदन खारिज किया जावें, वकील प्रार्थी द्वारा बहस करते हुए निवेदन किया कि विप्रार्थी मूल खातेदार नहीं है। विप्रार्थी द्वारा भूमि क्रय की गई है, विप्रार्थी की भूमि की तरमीम मौके के अनुसार ही होने से विप्रार्थीगण की आपत्ति खारिज की जावे। उभयपक्ष की बहस के पश्चात विप्रार्थीगण मूल खातेदार नहीं होने तथा सम्बन्धित खसरे में खातेदार नहीं होने से तहसीलदार बाड़मेर की रिपोर्ट के आधार पर विप्रार्थीगण की आपत्ति खारिज की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज यथा जमाबन्दी संवत्, नक्शों,एवं संलग्न परिशिष्टों का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। तहसीलदार बाडमेर ने मौका रिपोर्ट में अंकित किया है कि पक्षकारान का खेत दो मूल ग्राम महाबार तथा उण्डखा में आए हुए हैं दोनो ग्रामों की सीमा पर स्थित होने से ओवरलेप हैं। राजस्व रेकर्ड में जितना रकबा दर्ज हैं मौके पर वास्तविक रूप से उतना क्षेत्रफल उपलब्ध नहीं हैं, आपसी वंटवाड़े के समय ओवरलेप को ध्यान में नहीं रखा गया हैं जिसमें रेकर्ड में तरमीम व मौके पर स्थित क्षेत्रफल में भिन्नता हैं। राजस्व रेकर्ड में खसरा संख्या 1987/833, 1988/833, 2347/833, 1990/833 मूल खसरा संख्या 838 के बटटा नम्बरो की वर्तमान तरमीम संलग्न नक्शा परिशिष्ट "अ" के अनुसार है जबकि जमाबन्दी में अंकित रकबा व मौके पर काश्त व कब्जा अनुसार प्रारूप ''ब'' के अनुसार शुद्ध किये जाने की अभिशंषा की है। ''राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 131 व 136 के तहत मानचित्र जो राजस्व अधिकारियों द्वारा संधारित की जाती है, जिसमे खेत की सीमाओं के सब परिवर्तनों व गलतियों को जो ऐसे मानचित्र या फिल्ड बुक मे की गई है या बतलाई गई है जिसे शुद्ध किया जा सकेगा तथा

उप खण्ड अधिकारी
बाडमेर

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 131 व 136 के अन्तर्गत केवल लिपिकीय त्रुटियां अथवा कुछ स्वीकार गलतियां जो राजस्व अभिलेखों में आ गई हो को संशोधित किया जा सकता है।'' जो तहसीलदार बाडमेर की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि मौके पर एवं राजस्व रेकर्ड में लठ्ठा ट्रेस में अंकित तरमीम रकबे की तरमीम गलत है। प्रकट तथ्यों के मद्देनजर मौजा मुरटाला गाला पटवार हल्का महाबार बाड़मेंर के खसरा संख्या 833/1 व 838/1 वर्तमान खसरा संख्या 1988/833, 1987/833, 1990/833 व 1997/833, 2481/833 व 2482/838 की तरमीम जमाबन्दी में अंकित रकबा व मौके पर काश्त व कब्जा अनुसार प्रारूप ''ब''के अनुसार दुरूस्त (शुद्धिकरण) किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र तहसीलदार बाडमेर की मौका रिपोर्ट के परीप्रेक्ष्य में स्वीकार किया जाकर मौजा मुरटाला गाला पटवार हल्का महाबार बाड़मेंर के खसरा संख्या 833/1 व 838/1 वर्तमान खसरा संख्या 1988/833, 1987/833, 1990/833 व 1997/833, 2481/833 व 2482/838 भूमि की वर्तमान तरमीम जो कि प्रारूप "अ" के अनुसार है को निरस्त की जाकर तहसीलदार बाडमेर के पत्रांक भू.अ./2025/1025 दिनांक 22.04.2025 द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के संलग्न प्रारूप "ब" अनुसार राजस्व नक्शा में तरमीम दुरूस्त (शुद्धिकरण) किया जाता है। तहसीलदार बाडमेर तद्नुसार समस्त राजस्व अभिलेख शुद्ध करें। तहसीलदार बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ट "ब" आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(वीरमा राम)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर
उप खण्ड अधिकारी

आदेश आज दिनांक 08/07/25 को सरें ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर
उप खण्ड अधिकारी
बाडमेर